विद्युत संबंधी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें : आरती डोगरा

खैरथल। डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने भिवाड़ी निरीक्षण के दौरान अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यिमयों की विद्युत संबंधी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्युत कनेक्शन तथा लोड एक्सटेंशन जैसी आमजन से जुड़ी पत्रावलियां अटकें नहीं।

प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने गुरूवार को भिवाड़ी सर्किल में विभिन्न कार्यालयों तथा ठिाड सब स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि भिवाड़ी एनसीआर से जुड़ा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यहां की औद्योगिक इकाइयों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार और सरकार को राजस्व मिलता है। ऐसे में इन इकाइयों को सतत् एवं पूरे वोल्टेज से पावर सप्लाई के साथ ही सेवाओं की सुगम अदायगी सुनिश्चित की जाए।

भिवाड़ी में फीडरों की ट्रिपिंग को लेकर भी समीक्षा की गई। टपूकड़ा एईएन कार्यालय खुशखेड़ा तथा कारोली औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति तथा संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अभियंताओं को औद्योगिक क्षेत्रों की विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ सतत् संवाद के निर्देश भी दिए।

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने टपूकड़ा में कुछ प्रकरणों में रीडिंग की पुष्टि के लिए फीडर इंचार्जों को पुन: संबंधित उपभोक्ता के यहां भेजा और उपभोग की गई यूनिट की फोटो वॉट्सएप पर मंगवाकर पूर्व में ली गई रीडिंग की सत्यता की जांच की। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत राजस्व अर्जन के लिए शत-प्रतिशत बिलिंग जरूरी है। उन्होंने ओएंडएम के अभियंता एचटीएम (हाई टेंशन मेंटिनेंस) विंग के साथ समन्वय कर औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित सब स्टेशनों तथा फीडरों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा जिससे कि आवश्यक तकनीकी में सुधार किए जा सकें।इसके अलावा ट्रिपिंग की समस्या वाले फीडरों में लोड की प्रभावी प्लानिंग करने के साथ कहीं नए फीडर अथवा जीएसएस की आवश्यकता है, तो उसकी अभी से योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने एईएन कार्यालय भिवाड़ी में न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लंबित कनेक्शन प्रकरणों की जानकारी ली। आरडीएसएस योजना के तहत 33 केवी जीएसएस नौगामा का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अधीक्षण अभियंता जेपी बैरवा, अधिशासी अभियंता एससी महावर सहित बिजली विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

भिवाड़ी में विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा अधिकारियों से जानकारी लेते।

- **डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने भिवाड़ी में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की**

युवाओं को नशे से बचाने का लिया

संकल्पशाहपुरा को अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर उप जिला अस्पताल शाहपुरा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और समाज में इसकी घातकता को लेकर जनचेतना फैलाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिला अस्पताल प्रभारी डॉ. विनोद योगी ने की। उन्होंने नशे के कारण होने वाले शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा एक धीमा ज़हर है, जो व्यक्ति के जीवन, परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और आम नागरिकों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। डॉ. योगी ने बताया कि नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन हेतु विधिक सेवाएं योजना, 2015) के तहत जरूरतमंदों को नि:शुल्क सलाह व उपचार की सुविधा दी जा रही है। डॉ योगी ने बताया कि नशे कि लत के लक्षण जैसे अचानक वजन घटना, उनकी भूख कम हो जाना, बाधित नींद पैटर्न, अनिद्रा (रात में सोने में कठिनाई) या हाइपरसोमनिया (बहुत लंबे समय तक सोना) शामिल है। कार्यक्रम में युवाओं व अस्पताल स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। वक्ताओं ने कहा कि नशे से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और समय रहते उपचार कराना अत्यंत आवश्यक है।

सांभर में 70 वृद्ध व दिव्यांग जनों को उपकरण दिए

सांभरझील, (निसं)। यहां वार्ड नंबर तीन की पार्षद बिंदु कुमारी के अथक प्रयासों से सांभर में आज वृद्ध एवं दिव्यांग जनों के लिए लगाया गया शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

पूर्व पार्षद सिराजुद्दीन मंसूरी ने बताया कि प्रदेश सर्वोदय विकलांग सेवा समिति एवं भारत सरकार के उपकरण निर्माता कानपुर द्वारा 70 वृद्ध व दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण वितरित किए गए, जिसमें 22 वृद्धजनों को श्रवण यंत्र, तीन साइकिल, 16 व्हील चेयर, 20 टॉयलेट सीट, 20 वॉकर, 14 छड़ी, कमर के बेल्ट 30 गले के पट्टे, 20 निकैप दिन गए। इस मौके पर पार्षद पति पुरुषोत्तम व पार्षद बिंदु कुमारी ने कहा कि समर्थ लोगों को जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज हम दोनों की आत्मा प्रसन्न है कि इस शिविर में सभी ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम मे एसडीएम अंजू वर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

अध्यक्षता अभय तिवारी प्रदेश सर्वोदय विकलांग सेवा समिति द्वारा की गई। मंच संचालित जितेंद्र दुलारिया ने किया।कार्यक्रम संगठन महामंत्री दयाराम वर्मा, राहुल पाल सचिन गौतम, रामजीलाल मौर्य, विनोद दुलारिया, मुख्य संरक्षक प्रो डॉ ज्ञान प्रकाश दायमा, पुरुषोत्तम बंसीवाल,नानकराम गनोलिया,,प्रताप ,व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद गट्टानी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष कन्हैयालाल सकरवाल शाहिद अनेक लोगों की मौजूदगी रही।

सांसद राव राजेन्द्र सिंह का किया अभिनंदन

कोटपूतली। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह के जन्मदिवस पर गुरूवार को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शाहपुरा स्थित सांसद कार्यालय पहुंचकर सांसद राव राजेन्द्र सिंह का माला, साफा पहनाकर व महात्मा ज्योतिबा फूले का चित्र भेंटकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर लाल कसाना, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेष मंत्री गुड्डू सैनी, लीलाराम सरपंच, किसान नेता रोहिताष कसाना, चन्दाराम डोई, सतीश चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।

बिजली कटौती से आमजन परेशान

पावट।बिजली कटौती एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यह कुछ घंटों तक हो तो ठीक है लेकिन यदि पूरे 24 घंटें तक बार-बार बिजली कटौती जारी रहे तो बात हैरानी वाली नजर आती है।

उपखंड पावटा मुख्यालय पर रविवार शाम से सोमवार दोपहर तक बार-बार बिजली कटौती जारी रही। गांवों में तो और भी हालात विकट हो गए हैं। रविवार को अधिकतर गांव रातभर अंधेरे में डूबे रहे। सोमवार दिन में भी बार-बार बिजली कटौती से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पावटा कस्बे में गत रात लगातार करीब पांच घंटे तक बिजली कटौती रही। इसके अलावा बीच-बीच में भी बिजली कटौती का दौर जारी रहा। बिजली विभाग है कि बारिश व लाइन फॉल्ट का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है। पावटा कस्बा सहित क्षेत्र में डिस्कॉम द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती ने पेयजलापूर्ति को भी बिगाड़ दिया है।

बाइक चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक। निवाई थाना क्षैत्र में गत 02 जून को परमानन्द जी महाराज के पास निवाई से अज्ञात चोर द्वारा मोटरसाईकिल को चुराकर ले जाने के मामले में पुलिस उप-अधीक्षक निवाई मृत्युन्जय मिश्रा एवं थानाधिकारी निवाई रामजीलाल द्वारा गठित टीम ने चोरी की वारदात के मामले में कार्यवाही करते हुए जगह-जगह संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर एवं 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई।

गठित टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर चोरी गई मोटरसाईकिल को ग्राम खिडगी से बरामद की गई एवं अज्ञात आरोपियो की तलाशी शुरू कर जिसके बाद 5-6 संदिग्ध व्यक्तियों से पुछताछ की गई तो सामने आया कि आरोपी सफीक उर्फ बुणा पुत्र शमशूखां बंजारा उम्र 22 साल, मुकेश कुमार 35 निवासी सरपंच की ढाणी खिडगी को डिटेन कर पुछताछ के बाद आरोपी मुकेश गुर्जर ने उक्त मोटरसाईकिल को चोरी कर अभियुक्त सफीक उर्फ बाणा को बेचना स्वीकार किया। इसी प्रकार नरेश बैरवा पुत्र श्री रमेश बैरवा द्वारा थाना निवाई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुलदीप बैरवा, मनमोहन मीणा, किशन गवारिया ने दुकान पर आकर मेरे एवं मेरे भाई के साथ मारपीट की हैं।

बंदर के हमले से महिला घायल

पावटा। विराटनगर कस्बे में छत पर कार्य करने गई महिला पर बंदरों ने हमला बोल दिया।

बंदर के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को उपचार के लिए विराटनगर अस्पताल में भर्ती कराया है। विराटनगर कस्बे के वार्ड न.6निवासी चंद्रा सैनी गुरुवार की सुबह अपनी मकान के छत पर कार्य करने गई थी। इस दौरान बंदर अचानक छत पर आ गया। बंदर ने महिला पर हमला बोल दिया जिसमें महिला घायल हो गई। घटना के दौरान परिजन महिला की ओर दौड़े। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

'सिंधी संस्कृति व सिंधी भाषा का बच्चों को ज्ञान देना पुण्य का काम'

किशनगढ़ बास । पूज्य सिंधी पंचायत एवं भारतीय सिंधु सभा के द्वारा आयोजित 11 दिवसीय सिंधी बाल संस्कार शिविर का समापन समारोह इस्माइलपुर दरबार के संत ललित सांई की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

सिंधी समाज के प्रवक्ता सुनील बतरा ने बताया कि पूज्य सिंधी पंचायत एवं भारतीय सिंधु सभा द्वारा आयोजित 15 जून से संत कंवर राम हरि मंदिर में चल रहे सिंधी बाल संस्कार शिविर का 25 जून बुधवार को बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया । समापन कार्यक्रम का इष्टदेव भगवान झूलेलाल की आरती एवं बच्चों द्वारा सरस्वती माता की वंदना तथा सिंधी गीत के साथ शुभारंभ किया गया । इस्माइलपुर दरबार के संत ललित सांई का पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी गोकुलदास मृगवानी एवं पूज्य बहराणा मंडल के बाबा बाबूलाल चंदनानी ने साफा एवं फुलमाला तथा दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। संतो के साथ पधारे कीर्तन मंडली का सिंधी पंचायत के सदस्य दर्शन लाल बतरा नेमराज बतरा, झामन दास हरवानी, तीरथ दास बतरा ने दुपट्टा एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत किया ।

समारोह मे भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश महामंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी, प्रताप कटहरा, राजकुमार दादवानी, शिशुपाल, नत्थूमल रामलानी, वल्लभठाम के मुखी वासदेव दासवानी, पार्षद जाजन मुलानी, घनश्याम दास चंचलानी, नारायण दास नारी का स्वागत भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष प्रभु दयाल चंदनानी, सरपंच जनेश भूटानी , चतुर्भुज बजाज ,लक्ष्मण दास मंगलानी, मुरलीधर बच्चानी, बंटी हरवानी, संजय बजाज, धर्मेंद्र हरवानी, विनोद बच्चानी, नवीन मदान,धनराज जेठानी ने फूलमाला और दुपट्टा पहनाकर किया ।

दसवीं बोर्ड एवं 12वीं बोर्ड में 90 अंक से ज्यादा लाने वाले प्रतिभावान 11 बच्चों को साफा , फूलमाला पहनाकर एवं सम्मान प्रतीक व प्रमाण पत्र देखकर सम्मानित किया गया तथा 2025 में सिंधी समाज की राधिका इसरानी को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में सरकारी नौकरी प्राप्त करने पर सम्मान प्रतीक , प्रमाण पत्र दुपट्टा एवं फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया ।

11 दिवसीय सिंधी बाल संस्कार शिविर में अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई जिसमें कलर भरो प्रतियोगिता जूनियर वर्ग में गौरांश मंघनानी प्रथम, हंशित वलेचा द्वितीय स्थान पर रहे, सीनियर वर्ग में रिद्धि चंदनानी प्रथम, अनमोल वाधवानी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

कार्यालय आवासीय अभियंता
राज. आवासन मण्डल, खण्ड कोचिंग हब, जयपुर (उपखण्ड दौसा)
1/88, खान भांकरी रोड़ दौसा (राज.) (01427-223875)
(Email Id: redausa.rhb@rajasthan.gov.in)

आवश्यक सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवास संख्या 2/212, स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर, क्षेत्रफल 59.06 वर्ग मीटर का आवंटन श्री रामदयाल जैन पुत्र श्री रामकरण जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2047 दिनांक 08.11.1988 को जारी किया गया था व मूल आवंटी को कब्जा दिनांक 14.12.1988 को संभलवा दिया गया। मूल आवंटी श्री रामदयाल जैन द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिए अपंजीकृत इकरारनामा के दिनांक 10.07.1994 को श्रीमति जयमाला जैन पत्नि श्री भगवत प्रसाद जैन के नाम कर दिया गया। श्रीमति जयमाला जैन के आवेदन पर मण्डल द्वारा इनके पक्ष में नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र व पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये।
उक्त आवास के मूल आवंटी श्रीमति जयमाला जैन की मृत्यु दिनांक 14.05.2024 को हो जाने पर उनके नामित उत्तराधिकारी पौत्र श्री मुकेश जैन पुत्र श्री रविन्द्र कुमार जैन ने उक्त आवास का हस्तांतरण अपने पक्ष मे करने हेतु निवेदन किया है।
अतः आवास संख्या 2/212, स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर के हस्तांतरण के संबंध मे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 10 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त वर्णित उत्तराधिकारी श्री मुकेश जैन पुत्र श्री रविन्द्र कुमार जैन के पक्ष मे उक्त आवास के हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोचिंग हब जयपुर

Office of the Recovery Officer-I/II
Debts Recovery Tribunal, Jaipur
First floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road Jaipur
R.C. No.: 644/2022 Next Date: 08/07/25

DEMAND NOTICE

Notice under Section 25 to 28 of the recovery of debts & Bank Ruptcy Act 1993 and Rule 2 of Second Schedule to the Income Tax Act, 1961
State Bank Of India V/S **M/S Laxmi Traders**

To,(CD1) M/S Laxmi Traders, E-104 Dada Gurudev Nagar Jai Dadabari Sanganer Jaipur Rajasthan through Proprietor Smt. Ranjanaben S. Gupta (CD2) Smt. Ranjanaben S. Gupta W/o Shri Khushal Agarwal R/o Shop No. 23, Railway Station Road, Sanganer Jaipur Rajasthan This is to notify that as per Recovery certificate issued in pursuance of orders passed by the presiding Officer Debts Recovery Tribunal Jaipur O.A. 934/2018 an amount of **Rs. 10,85,059/- (Rupees Ten Lakh Eighty Five Thousand Fifty Nine only)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you. 1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of Receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993 as per rules there under. 2. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing. 3. You are, hereby ordered to appear before undersigned on 08/07/2025 at 10:30 A.M.for further proceedings 4. In additions to the sum afore said you will be liable to pay" (a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and Warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due. Details of Amount in the Recovery certificate Due Against you given under my hand and the seal of the tribunal, on this date 03.05.2025

1.Recovery Certificate Amount	: Rs. 10,85,059/-
2. Cost of Suit	: Rs. 14,360/-
3. Interest from 11.10.2018 to 07.01.2023 @ 10% p.a.	: Rs. 4,60,481.20/-
4. Less Amount recovererd after RC Issued	: Rs. Nil
5. Total Dues	: Rs. 15,59,900.20/-

Seal
Recovery Officer - II
Debts Recovery Tribunal Jaipur

Office of the Recovery Officer-I/II
Debts Recovery Tribunal, Jaipur
First floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road Jaipur
R.C. No.: 474/2022 Next Date: 01/07/25

DEMAND NOTICE

Notice under Section 25 to 28 of the recovery of debts & Bank Ruptcy Act 1993 and Rule 2 of Second Schedule to the Income Tax Act,1961
State Bank Of India V/S **M/S Jai Shree Fashion**

To,(CD1) M/S Jai Shree Fashion, Shop No. 202 Khatipura Road Jhotwara Jaipur Rajasthan Through Proprietor Shiv Narayan Agarwal(CD2) Shiv Narayan Agarwal S/o Shri Guljari Lal Agarwal R/o 1-B-18 Khatipura Road Radha Nikunj Goverdhanbari Jhotwara jaipur Rajasthan. This is to notify that as per Recovery certificate issued in pursuance of orders passed by the presiding Officer Debts Recovery Tribunal Jaipur O.A. 927/2018 an amount of **Rs. 10,30,217/- (Rupees Ten Lakh Thirty Thousand Two Hundred Seventeen only)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you. 1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the Receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993 as per rules there under. 2. You are, hereby ordered to appear before undersigned on 01/07/2025 at 10:30 A.M.for further proceedings 3. In additions to the sum afore said you will be liable to pay" (a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and Warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due. Details of Amount Mentioned in the Recovery certificate Due Against you given under my hand and the seal of the tribunal, on this date 03.05.2025

1.Recovery Certificate Amount	: Rs. 10,30,217/-
2. Cost of Suit	: Rs. 14,325/-
3. Interest from 11.10.2018 to 26.12.2022 @ 10% p.a.	: Rs. 4,33,820/-
4. Less Amount recovererd after RC Issued	: Rs. Nil
5. Total Dues	: Rs. 14,78,362/-

Seal
Recovery Officer - II
Debts Recovery Tribunal Jaipur

Office of the Recovery Officer-I/II
Debts Recovery Tribunal, Jaipur
First floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road Jaipur
R.C. No.: 551/2019 Next Date: 16/07/25

DEMAND NOTICE

Notice under Section 25 to 28 of the recovery of debts & BankRuptcy Act 1993 and Rule 2 of Second Schedule to the Income Tax Act, 1961
State Bank Of India V/S **M/S Jai Chand Creation**

To,(CD1) M/S Jai Chand Creation, Proprietorship Firm through its proprietor Sh. Anil Kumar Jain S/o Sh. Tara Chand Jain 3 Palika Bazar Swj Farm New Sanganer Road Sodala Jaipur (CD2) Sh. Anil Kumar Jain S/o Sh. Tara Chand Jain Proprietor of M/s Jai Chand Creation R/o Plot no. 12 Kanishk Colony Durga Vihar Ram Mandir Tonk Road Sanganer Jaipur This is to notify that as per Recovery certificate issued in pursuance of orders passed by the presiding Officer Debts Recovery Tribunal Jaipur O.A. 535/2018 an amount of **Rs. 11,36,699/- (Rupees Eleven Lakh Thirty Six Thousand Six Hundred Ninety Nine only)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you. 1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of Receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993 as per rules there under. 2. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing. 3. You are, hereby ordered to appear before undersigned on 16/07/2025 at 10:30 A.M.for further proceedings 4. In additions to the sum afore said you will be liable to pay" (a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and Warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due. Details of Amount in the Recovery certificate Due Against you given under my hand and the seal of the tribunal, on this date 15.05.2025

1.Recovery Certificate Amount	: Rs. 11,36,699/-
2. Cost of Suit	: Rs. 15,344/-
3. Interest from 18.06.2018 to 31.12.2019 @ 10% p.a.	: Rs. 1,75,241./-
4. Less Amount recovererd after RC Issued	: Rs. Nil
5. Total Dues	: Rs. 13,27,284/-

Seal
Recovery Officer - I
Debts Recovery Tribunal Jaipur

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती जया महावर पत्नि श्री ब्रिज मोहन महावर, पुत्री श्री अमर लाल महावर, उम्र 50 वर्ष, जाति-कोली, निवासी-म.नं.-2877, चोकडी हजुरी, कोलियों की कोठी, लम्बी गुआड़ी, जयपुर (राज.) की है जिनके दो पुत्र यश महावर व रूपेश महावर है। वर्तमान में बड़ा पुत्र यश महावर विवाहित है तथा छोटा पुत्र अविवाहित है, जिनमें से मेरी अभिभाष्या का बड़ा पुत्र यश महावर व उसकी पत्नि जो कि मेरी अभिभाष्या के कहने में नहीं है, प्रत्येक कार्य में अपनी मनमानी करते है। इस कारण मेरी अभिभाष्या के द्वारा आज दिनांक 2606.2025 को अपने बड़े पुत्र यश महावर को अपने परिवार तथा अपनी चल अचल सम्पति से बेदखल कर दिया गया है जिसके कारण वर्तमान में मेरी अभिभाष्या का बड़ा पुत्र अपनी पत्नि के साथ मेरी अभिभाष्या से अलग निवास कर रहा है, अब उसका मेरी अभिभाष्या से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व लेना देना नहीं रहा है, यदि अब कोई भी व्यक्ति या संस्था मेरी अभिभाष्या के पुत्र यश महावर से किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन करेगा अथवा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी अभिभाष्या की नहीं होगी, सूचित रहे।
जयपुर (मोहन चावला) एडवोकेट
दिनांक 26/6/2025 मोबाइल : 9414200101

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य बाबू खान पुत्र भूरे खां, तोपचीवाड़ा, मनोहरपुर जयपुर का हूं। मेरा पुत्र शाबिर व पुत्री सबिया मेरे अभिभाष्य के साथ गाली गलौच व मारपीट करते है इसलिये मेरे अभिभाष्य इनसे काफी दुखी है। मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र शाबिर पुत्री सबिया को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करते हुये उससे अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिये है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था मेरे अभिभाष्य के पुत्र शाबिर पुत्री सबिया से कोई लेन देन करेगा या सम्बन्ध रखेगा तो वह स्वंय जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब पुत्र शाबिर पुत्री सबिया का मेरे अभिभाष्य की चल व अचल सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। सूचित रहे।
दिनांक : 26.6.2025 (प्यारे मियाँ), एडवोकेट

कार्यालय नगरपालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)
क्रमांक : न.पा.श्रीमा./2025-26/890 दिनांक : 26.6.2025

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगरपालिका श्रीमाधोपुर में निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रयोजन हेतु आवेदन किया गया है। अत: निम्न अंकितानुसार व्यक्ति के आवेदन पर किसी को कोई आपत्ति हो, तो नगरपालिका श्रीमाधोपुर में 15 दिवस में मय सबूत अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद गुजरना म्याद नियमानुसार प्राप्त आवेदन पर एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय पता	प्रयोजन	भूखंड/सम्पत्ति का विवरण जहां स्थित है
1.	श्री भागीरथमल सैनी पुत्र श्री दीपाराम सैनी, वार्ड नं. 08 तहसील रोड, जालपाली श्रीमाधोपुर।	आवासीय से चिकित्सा (हॉस्पिटल) भू-उपयोग परिवर्तन	वार्ड नं. 08 तहसील रोड जालपाली श्रीमाधोपुर पट्टेशुदा भूखंड क्षे. 459.14 व.मी.

(डॉ. अशोक कुमार), अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

OFFICE THE GRAM PANCHAYAT THOI
PANCHAYAT SAMITI SHRIMADHOPUR (SIKAR)
No.Eproc/2025-26/66 Date:-26/06/2025

E-Procurement Notice Inviting Bids

NIB No SMD2526A0081 Date 26-06-2025 Bids for For the Rest house construction work Scheduled Caste Mohalla Thoi Of Estimated Value RS 7.00 Lakh Having UBN number SMD2526WSRC00080 are invited from interested bidders up to 6.00 pm 02-07-2025 The electronic procurement process shall be carried out on e-procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in only. The information on this bid is also available on http://sppp.raj.nic.in and http;//eproc. rajasthan.gov.in

ADMINISTOR GRAM PANCHAYAT THOI PANCHAYAT SAMITI SHRIMADHOPUR (SIKAR)
VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER GRAM PANCHAYAT THOI PANCHAYAT SAMITI SHRIMADHOPUR (SIKAR)

Office of The Gram Panchayat Kotari Dhaylan Khandela
Sno: tender/2025-26/SPL Date : 25/06/2025

TENDER NOTICE

E-tenders are invited under open tener process from registered contractors/contractors etc. for civil work in Gram panchayat Kotri Dhaylan in the financial year 2025-26. Detailed details of tenders can be seen on sppp.rajasthan.gov.in. The UBN NUMBER of the tender is PIT2526WSRC00145

VDO GP Kotri Dhaylan
parsasak GP Kotri Dhaylan

खोया पाया

जेडीए योजना रजत विहार, सीकर रोड़ के प्लॉट नं. सी/303 का आवंटन मुझे हुआ था, जिसका ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर कहीं गुम हो गया है, कृप्या मिलने पर सूचित करें: संजय कुमार शर्मा,9829625792

नाम परिवर्तन

मैने मेरा नाम ओमप्रकाश यादव से बदलकर गगन यादव रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। गगन यादव, A-84, जगदम्बा नगर, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर, राज।

I Manoj Kanwar D/o Bhgwan Singh and W/o Laxman Singh Shekhawat R/o Ward No- 16, Nahar Singhani, PO- Narsinghanni, Dist- Jhunjhunun, Rajasthan - 333705, have changed my name to Minu Kanwar

I have changed my name from Thnisha Modi to Tanisha Modi W/o Gaurav Modi R/o D-201, Unnati Regedency, Sector-1, Vidhyadhar Nagar, Jaipur. For all purpose.

कार्यालय ग्राम पचांयत जयरामपुरा
पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) राज.
क्रमांक :ग्रा.प./सामग्री/निविदा/2025-26/95 दिनांक : 23-6-2025

ई-उपापन निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

ग्राम पंचायत जमरामपुचायत समिति खण्डेला वित्तीय वर्ष 2025-26 में महानरेगा योजना एवं अन्य सभी विकास योजनाओं में करवाये जाने वाले निमार्ण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर संविदा हेतु ई-उपापन द्वि-प्रकमी बोली आंमत्रित की जाती है। राजस्थान वेट अधिनियम 2003 एवं जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के अन्तगर्त पंजीकृत / प्राथिकृत एवं अनुभवी विनिर्माता, थोक विक्रेता एवं अधिकृत डिलर्स एवं फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेब साईड www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदायें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मान्य होगी। उक्त निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। उक्त कार्य के NIB Code - PIT2526A042 एवं कार्य के UBN NUMBER-PIT2526GLRC00144 है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत समिति जयरामपुरा, पं.स.खण्डेला (सीकर-राज.)
प्रशासक, ग्राम पंचायत समिति जयरामपुरा, पं.स.खण्डेला (सीकर-राज.)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल चाकसू, जिला जयपुर ग्रामीण (राज.)
क्रमांक: न.पा.चा./2025/2455 दिनांक : 26.6.25

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शीतला माता मन्दिर से पुड़ा आश्रम होते हुए गुटलिया की ढाणी के रास्ते का मार्गाधिकार निर्धारित नहीं किया हुआ है, जिससे इस रास्ते पर भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही लम्बित है। अत: नविवि की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 की पालना में इस रास्ते की चौड़ाई 60 फीट निर्धारित की जानी है। अत: इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव प्रस्तुत करना चाहे तो 10 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। 10 दिवस पश्चात प्रस्तुत गुणावगुण के आधार पर आपत्ति या सुझावों (प्राप्त होने की स्थिति में) का निस्तारण करके एवं आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सीधे ही इस रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित कर दिया जावेगा एवं तदनुसार भविष्य में मास्टर प्लान में शामिल कर लिया जावेगा। साथ ही इस रास्ते पर वर्तमान में लंबित तथा भविष्य में प्राप्त हेतु वाले प्रकरणों